



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

कं. 451] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसंबर 6, 1991/अग्रहायण 15, 1913  
No. 451] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 6, 1991/AGRAHAYANA 15, 1913

इस भाग में खिल्ली पाठ संख्या दी जाती है जिसमें कि यह अन्य संकलन के रूप में  
रखा जा सके।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसंबर, 1991

सा. का. नि. 726 (अ) :- केंद्रीय सरकार, रेल वाला अधिकारण अधिनियम, 1987 (1987 का. 54) की वारा 30 की उपाधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल वाला अधिकारण (धर्मधर्म, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ता तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए नियमित नियम बनाती है, प्रयत्न :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल वाला अधिकारण (धर्मधर्म, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ता तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1991 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. रेल वाला अधिकारण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का बेतन और भत्ता तथा सेवा की यात्रा) नियम, 1989 में,—

(1) नियम 6 में,—

(i) उपनियम (1) के खंड (i) में “या उसके किसी भाग” शब्दों के स्थान पर “और उसके किसी भाग के लिए आनुपातिक छुटटी” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक लोग जाएंगा, अवधि :—

“परन्तु उपाधिक छुटटी की तुल अवधि जिसके अन्तर्गत दोष अवकाश को वह अधिक भी है जिसका उपयोग नहीं किया गया है, एक वर्ष में 30 दिन से अधिक नहीं होगी।”

(2) नियम 8 के उपनियम (2) में “या उसके भाग” शब्दों का लोग किया जाएगा।

[सं. 89/टी. सी. /आर. सी. ई/1—6]

अधिक अल्लीना, सचाहकार (वाणिज्य) रेलवे बोर्ड

### MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 1991

G.S.R. 726(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 30 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987), the Central Government hereby makes the following rules further to end the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and conditions of services of Chairman, Vice-Chairman and Members), Rules, 1989, namely :—

1. (1) These rules may be called the Railway Claims Tribunal (Salaries, Allowances and conditions of services of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 1991.

(2) They shall come into force on the date of their publications in the Official Gazette.

2. In the Railway Claims Tribunal (Salaries, Allowances and Conditions of services of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989,—

(1) In rule 6,—

(i) in clause (i) of sub-rule (1), for the words “or a part thereof” the words “and proportionate leave for a part thereof” shall be substituted.

(ii) in sub rule 2, for the words “to his leave account, the following words and the proviso shall be substituted, namely :—

“to his leave account :—

Provided that the total period of earned leave including the unenjoyed period of leave shall not exceed 30 days in a year.

2) In sub-rule (2) of rule 8, for the words "or service or a part thereof" the words "of service" shall be substituted.

[No. 89/TC/RCT/1-6]

ASHOK MALHOTRA, Adviser  
Commercial Railway Board.